न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 18 / 2023 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री काना पिता श्री थावरा मीणा, निवासी रजोल, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री रामलाल पिता श्री थावरा मीणा, निवासी रजोल, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री लक्ष्मण पिता श्री थावरा मीणा मृतक के बजाय वारिसान् –
   1 / 1. श्रीमती लिम्बड़ी पत्नी स्व. श्री लक्ष्मण मीणा, निवासी–घाटा फला, ककरी डूंगरी, रजोल, पोस्ट कल्याणपुर, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
   1 / 2. श्री भैरूलाल मीणा पिता स्व. श्री लक्ष्मण मीणा, निवासी–घाटा फला, ककरी डूंगरी, रजोल, पोस्ट कल्याणपुर, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
   1 / 3. श्रीमती चम्पु पुत्री स्व. श्री लक्ष्मण मीणा (पत्नी श्री देवीलाल ओजा) निवासी–मु. गतोड़ा, पोस्ट कुराडिया, तहसील सेमारी जिला सलूम्बर (राज.)
   1 / 4. श्रीमती कमला पुत्री स्व. श्री लक्ष्मण मीणा (पत्नी श्री देवचन्द हुरजी डामोर), निवासी–डामोर फला, पाल देवल, देवल, जिला डूँगरपुर
   1 / 5. श्रीमती सीता पुत्री स्व. श्री लक्ष्मण मीणा (पत्नी श्री प्रकाश पुत्र केशवनाथ), निवासी–ढेलाई, परसाद, तहसील सराड़ा, जिला सलूम्बर (राज.)
   1 / 6. श्रीमती लीला पुत्री स्व. श्री लक्ष्मण मीणा (पत्नी श्री शंकरलाल नानजी), निवासी–केउड़ी फला, मु.पो. कुण्डा, तहसील सेमारी, जिला सलूम्बर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)।

.....रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव
दि॰ 19–04–2023 प्र0सं0 10 / 2022

———/———

उपस्थित :– 1. श्री हर्षद जोशी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री धनसिंह झाला राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं.– 02

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:53:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 27—06—2025

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 संपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य, खाते एवं कब्जे की कृषि भूमि राजस्व ग्राम रजोल, पटवार हल्का कल्याणपुर, के खाता संख्या 305 नया एवं पुराना खसरा नंबर 4286/3711 किता 01 रकबा 2.1000 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा व विपक्षी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा राजस्व अभिलेख की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में सा.देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 स्व. श्री थवरा के वारिस होकर एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर वादी एवं अन्य प्रतिवदियों के कच्चे—पक्के केलुपोश मकान आदि बने हुये है। उक्त भूमि संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की अविभाजित संपत्ति होने से संयुक्त रूप काबिज होकर, काश्त कर, फसल प्राप्त कर हिस्से अनुसार बंटवाडा कर उपयोग उपभोग करते आ रहें है। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 01 जे.सी.बी. मशीन से गड्ड़े व नींवें खोद कर भारी संख्या में कारीगार व मजदूर लगाकर मकान बनाने के लिए आमादा है। विपक्षी संख्या 01 पैतृक संयुक्त मालिकाना हक एवं कब्जे की भूमि से प्रार्थीगणों को बेदखल करने पर आमादा है। अतः उक्त कृषि भूमि को विपक्षी विक्रय, दान, बंधक, वसियत एवं किसी भी तरह से हस्तान्रण नहीं कर रिकॉर्ड व मौके कि यथास्थिति बनाये रखने एवं प्रार्थीगणों को उक्त भूमि पर आकर रहेने, प्रवेश करने एवं उपयोग उपभोग करने किसी प्रकार से दखलन्दाजी एवं बाधा उत्पन्न ना करें ना ही अपने किसी मित्र, सहयोगी, रिश्तेदार, परिवारजन एवं प्रतिनिधि के द्वारा करें, इस हेतु विपक्षी संख्या 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे।

2. विपक्षी संख्या 1 की ओर जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा विशेष कथन मे बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादवर्णित भूमि पर वर्षों पूर्व निर्माण किया जा चुका हैं। उक्त भूमि के खातेदार पेमा द्वारा स्वामित्व व आधिपत्य प्रतिवादी संख्या 1 को [illegible] दिया गया था। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:53:55 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 सअधिकार काबिज होकर मकान का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसकी जानकारी वादीगण को भली भॉती है फिर मिथ्या कथनों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है तथा वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19–04–2023 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील दिनांक 13–09–2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया अपीलान्टगण को उक्त आदेश की जानकारी नही थी। दिनांक 19–04–2023 से 18–06–2023 तक राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर थे, इसी दौरान प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 भी आरम्भ हो चुका था। जैसे ही न्यायिक कार्यवाही सुचारू रूप से चालू हुई दिनांक 28–08–2023 को नकल प्राप्त कर अपील पस्तुत कर दी। जानबूझकर कोई विलम्ब नही किया गया है। अतः अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाई जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश कि गई है। रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है उसकी अंक्षाश देशांक [illegible] प्रस्तुत की जा रही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:53:55 IST
Reason: SelfAttested

उसमे भी जो निर्माणाधीन ढ़ांचा है वह वादग्रस्त भूमि पर स्थित है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जिससे अपीलान्टगण अपना पक्ष नहीं रख सके। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

8. विद्धान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण मे राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणदोष के आधार पर करने का निवेदन किया।

9. हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28–03–2022 को उक्त प्रकरण में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी करते हुये प्रकरण में मौके व रिकॉर्ड कि यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया। पक्षकारों के मध्य विभाजन का वाद विचाराधीन है तथा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पक्षकार सहखातेदार है। सहखातेदारी की अविभाजित भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का अधिकार होता है। साथ ही पटवारी रिपोर्ट दिनांक 04–05–2022 भी संलग्न है। जिसके अनुसार निर्माण वादग्रस्त आराजी पर नहीं किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19–04–2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:53:55 IST
Reason: SelfAttested